

एक टीएस-एएस पर दो पुलिया निर्माण की जांच के बाद लीपापोती में लगे अधिकारी! अवैध लकड़ी परिवहन करते पकड़ाया ट्रक

ग्राम पंचायत

भजियादंड का मामला

बालाघाट (स्वतंत्र मत)। गांव के विकास में केन्द्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना मनरेगा कारगर साबित हो रही है, लेकिन कुछ पंचायतों में उपयंत्री व सचिव की अज्ञानता के चलते उक्त योजना से पैसा कमजोर तर्क ही केवल सीमित रख दिया गया है। चाहे कार्य में गुणवत्ता बरते या फिर शासन की गाईडलाइन को दरकिनार रखें। फिर उक्त कार्यों में जांच हो भी जावे तो उन्हीं भ्रष्ट कार्यपाली को लेकर दस्तावेजों में फेरबदल करने और उक्त लोगों को कैसे बचाया जा सके इस कार्य में लगे हुए हैं, भले ही जनहित के कार्यों को उक्त लोग अपना कमाई का जरिया मानते हों, ऐसे उपयंत्री व सचिव के खिलाफ बड़ी कार्यवाही होनी चाहिए, जिससे की आगे कोई ऐसा कृत्य ना कर पाये। मनरेगा योजना से जनपद पंचायत खैरलाज की अंतर्गत ग्राम पंचायत भजियादंड में परस्थ उपयंत्री ज्ञानप्रकाश सुल्के व सचिव कमल कटरे से जुड़ा हुआ मामला



उपयंत्री के कारनामों को नजर अंदाज कर रहा प्रशासन..! सामने आया है। उपयंत्री के द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी के तहत पीडब्ल्यूडी रोड से आमा तालाब सड़क में पाईप पुलिया निर्माण कार्य में एक टीएस बनाकर दो पाईप पुलिया का निर्माण किया गया है। उक्त दोनों पाईप पुलिया में स्वीकृत बोर्ड के तहत पाईप पुलिया के उपर ही चित्रित किया गया है जिसमें लिखा गया है कि टीएस 195940/ 1 मार्च 2023 और एएस 195940/ 1 मार्च 2023 को किया गया। जिसकी लागत 11.90 लाख रुपये बताया गया है। इस कार्य की मनरेगा मजदूरी 221

अधिकारी को दें, जिसके बाद शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (आरईएस) बालाघाट के कार्यपालन अधिकारी मनोज धुर्वे को जांच अधिकारी बनाया गया, उनके द्वारा एसडीओ खैरलाजी श्री हिरकने के साथ मौके स्थल पर पहुंचकर पुलिया की जांच की गई।

विभागीय सूत्रों की माने तो उक्त निर्माण कार्य पैसे के लालची उपयंत्री ज्ञानप्रकाश सुल्के के द्वारा अपनी मनमानी करते हुए अपने चहिते ठेकेदार को कार्य दिया गया और सचिव के साथ मिलकर राशी को बंदरबाट किया गया। अब एक टीएस व एएस की फाईल को चेज करने में लगे हुए हैं जिसमें उक्त कार्य की निकाली गये स्टिमेंट को बदला जा रहा है, जिसमें योजना चल रही है कि उक्त कार्य का टीएस व एएस को निरस्त कर दो पाईप पुलिया के दो टीएस व दो एएस बनावाकर उक्त जांच रिपोर्ट के साथ सीईओ व कलेक्टर के समक्ष जांच सौंपी जाये। लेकिन बता दे कि उक्त कार्य की एएमबी फाईल भी बनकर करीब 10 लाख रूपये तक का बिना फर्म वाले

फर्जी बिलों से राशी का भुगतान कर दिया गया है। क्या अधिकारी उक्त निर्माण कार्य के साथ-साथ उन भुगतान किये फर्जी बिलों की भी जांच कर पायेंगे या फिर खानापुर्ती तक ही सीमित रह जायेंगे। उक्त उपयंत्री ज्ञानप्रकाश सुल्के व सचिव कमल कटरे के विरुद्ध प्रशासन उच्च स्तरीय कार्यवाही की जानी चाहिए क्योंकि सरकार की राशी को चुना लगाने में लगे हुए हैं। घंटिया स्तर के कार्यों में राशी निकालकर अधिकारी को अगवात कर रहे हैं पंचायत में उक्त कार्य हो चुका है, पर मौके स्थल पर कुछ और ही कार्य कहता है।

इनका कहना है जांच के रूप में उक्त पुलिया की जांच की गई है, जिसमें मनरेगा योजना अंतर्गत एक स्टिमेंट पर दो पुलिया का निर्माण किया गया है, दस्तावेज को देख कर जांच रिपोर्ट तैयार कि जा रही है, उक्त जांच रिपोर्ट आने वाले सोमवार को जिला पंचायत अधिकारी को सौंप दी, जायेगी।

मनोज धुर्वे कार्यपालन यंत्री, आरईएस बालाघाट

आम की लकड़ी कर रहे थे परिवहन, लामता वन विभाग की कार्यवाही।

बालाघाट (स्वतंत्र मत)। जिले के लामता क्षेत्र से आम की अवैध लट्टों का ट्रक में तस्करी करते हुए वन विभाग लामता के परिक्षेत्र अधिकारी के द्वारा नगरवाड़ा बेरियर पर ट्रक को पकड़ा गया है। उक्त ट्रक में करीब 27 नग लट्टों सहित ट्रक को जब कर कार्यवाही की गई है (ज्ञानकारी अनुसार 4 अक्टूबर की अलसुबह करीब 5 बजे वन विभाग की गस्ती टिम के द्वारा लामता क्षेत्र के नगरवाड़ा बेरियर पर करते वक्त वगैर हेम्बरिंग लगे आम की लकड़ियों से भरा ट्रक एमपी 07 एचबी 3088 अवैध रूप से



परिवहन रोका गया। जब वाहन चालक समीम खान बोरी निवासी से पुछताछ की तो उन्होने बगैर हेम्बरिंग वाली लकड़ी के संबंध में कहा की यह लकड़ी देवरी भाट से इंदौर जा रहा है बताया, साथ ही टीपी दिखाई गई, लेकिन हेम्बरिंग के बारे में कुछ नहीं किया गया, तत् पश्चायत गस्ती दल के द्वारा उच्च अधिकारियों के संज्ञान में

लाते हुए ट्रक में 27 नग आम के लट्टे, 3 नग अन्य लकड़ी, वन अप प 1 थक मा 1 थक 2722/50 दिनांक 4/10/24

के तहत कार्यवाही की गई इस कार्यवाही में वन परिक्षेत्र अधिकारी कृष्ण कुमार नामदेव, विजय श्रीवास्तव, शिवेंद्र टेकाम, वनपाल कृष्ण कुमार हरिनखेड़े, वन रक्षक मुनालाल पटले, किसान वरकडे के सहयोग से जांच की कार्यवाही कर ट्रक को परिक्षेत्र कार्यालय उत्तर लामता में लाकर रखा गया।

नक्सल प्रभावित क्षेत्र की बुनियादी सेवाओं में हुआ सुधार

बालाघाट (स्वतंत्र मत)। गुरुवार को मुख्य सचिव अनुराग जैन ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में केंद्र शासन की विशेष सहायता से स्वीकृत कार्यों की वीसी के माध्यम सेवामीक्षा की। देर शाम तक चली समीक्षा बैठक में आईजी संजय कुमार, कलेक्टर मृणाल मोना और एसपी नगेन्द्र सिंह ने सड़क, बिजली और अन्य भवनों के सम्बंध में जानकारी दी। समीक्षा बैठक में जिला पंचायत सीईओ अभिषेक सराफ सहित सम्बंधित विभागों के सभी विभाग प्रमुख मौजूद रहे। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बिजली के 5 करोड़ 85 लाख रुपये से अधिक कार्य प्रस्तावित भी है। साथ ही घरों में बिजली पहुंचाने के लिए ट्रांसफार्मर, लाइन बिछाना जैसे 1 करोड़ 93 लाख 41 हजार की राशि के कार्य प्रगतिशील है।

कलेक्टर ने दो एसडीएम के बदले प्रभार

बालाघाट (स्वतंत्र मत)। कलेक्टर मृणाल मोना ने प्रशासनिक दृष्टि से दो एसडीएम के आपस में प्रभार बदले है। वर्तमान में लांजी अनुभाग में परस्थ एसडीएम प्रदीप कोरव अब परसवाड़ा के एसडीएम का पदभार ग्रहण करेंगे। वहीं परसवाड़ा में परस्थ एसडीएम कमलचंद्र सिंहसार अब लांजी में एसडीएम का पदभार ग्रहण कर प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित करेंगे।

पत्नी का हत्या आरोपी पति गिरफ्तार

बालाघाट (स्वतंत्र मत)।

पत्नी के चरित्र पर संदेह के चलते गुसाये पति ने अपनी पत्नी की कुल्हाडी मारकर हत्या कर दी, जिस मामले में रूपझर पुलिस ने आरोपी पति को घटना के करीब 10 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया गया। ज्ञानकारी अनुसार थाना रूपझर, चौकी डोरा क्षेत्रान्तर्गत

ग्राम खुड्डुपुर में 03 अक्टूबर को प्रार्थी लोकेश इनवाती ने बताया कि, माँ चैनवती इनवाती को घर पर जब मां खाना बना रही थी तब पिता सुभान सिंह ने कुल्हाडी से मार दिया है जिसके कारण वह जमीन पर बेसुध गिर गई और उसकी मृत्यु हो गयी है। मेरे पिता घर के पीछे के खेत से भाग गये हैं रिपोर्ट पर थाना

रूपझर में अपराध धारा 296,103 (1) बी.एन.एस. का पंजीबद्ध किया गया। सूचना पर तत्काल चौकी प्रभारी डोरा, चौकी प्रभारी उक्का एवं थाना प्रभारी रूपझर मय स्ट्राफ के मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों तथा फोरेंसिक टीम द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर शव पंचनामा कार्यवाही की गई।

वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी रूपझर निरी. नितिन पटले के नेत्रत्व में टीम गठित की गई। ग्राम खुड्डुपुर में हुई वारदात के आरोपी सुभानसिंह इनवाती की तलाश चौकी उक्का चौकी डोरा थाना रूपझर के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा लगातार 10 घंटे चुनौतीपूर्ण, अतिसंवेदनशील, नक्सल

प्रभावित क्षेत्र के जटिल एवं दुर्गम जंगल में सर्चिंग उपरत आरोपी सुभानसिंह पिता टिकूरसिंह इनवाती उम्र 48, ग्राम खुड्डुपुर निवासी को पुलिस अधिष्ठा में लिया गया, गहनता से पूछताछ के दौरान आरोपी के जुर्म स्वीकार करने पर आरोपी से घटना में प्रयुक्त की गयी 1 नग कुल्हाडी जप्त की गयी।

इनका कहना है आरोपी सुभानसिंह अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था, जिससे वह आये दिन पत्नी से विवाद करता रहता था, घटना के दिन पर विवाद करते वक्त आवेश में कुल्हाडी से मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया था। जिसे 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर मानवीय न्यायालय में पेश किया गया है। नितिन पटले थाना प्रभारी रूपझर

अवैध शराब विक्रय पर आबकारी विभाग ने की कार्यवाही

सिवनी (स्वतंत्र मत)

आबकारी आयुक्त सिवनी शैलेश जैन के मार्गदर्शन में गत दिवस को शुष्क दिवस पर शराब के सेवन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाए जाने हेतु आबकारी विभाग के सिवनी जिले के आबकारी अमले द्वारा सघन गश्त एवं दिवस कार्य किया गया। जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के तहत कार्यवाही करते हुए कुल 17 अपराधिक प्रकरण

कायम किए गए हैं। कार्यवाही में आबकारी सिवनी मंडल के शहर वृत्त के अंतर्गत 04 न्यायालयीन प्रकरण, दक्षिण वृत्त के अंतर्गत 04 न्यायालयीन प्रकरण एवं उत्तर वृत्त के अंतर्गत 04 न्यायालयीन प्रकरण, लखनादौन और घंसौर वृत्त के अंतर्गत 05 प्रकरण अर्थात् कुल 17 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं।

कार्यवाही में नंदकिशोर पंचेश्वर आत्मज साहब लाल उम्र 50 वर्ष निवासी साल्हे बरघाट,

देवेंद्र आत्मज पूरनलाल उम्र 45 वर्ष निवासी साल्हे बरघाट, इनकार आत्मज भैया लाल उम्र 30 वर्ष निवासी टिहरी टोला, सतीश आत्मज तुकाराम उम्र 40 वर्ष निवासी गुडी, किशोर कोहरी आत्मज तहेश उम्र 39 वर्ष निवासी बोरी बरघाट, गीताबाई पत्नी दिलीप सिंह उम्र 45 वर्ष निवासी बोरी बरघाट, आयुष ढाबा संचालक आयुष साहू आत्मज रामकिशोर उम्र 24 वर्ष एवं ठाकुर ढाबा एवं रेस्टोरेंट

संचालक निलेश ठाकुर आत्मज महेश ठाकुर उम्र 26 वर्ष निवासी खूई, दुलारी पति अनिल निवासी नन्दीरा, श्यामलाल पति सुखबुलाल निवासी आमाकोला, झामूलाल पिता जगज्जलाल निवासी आमाकोला, अमलेश पिता रामभरोसे निवासी आमाकोला इत्यादि के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण कायम किया गया है।

शिक्षा अधिकारी ने की शासकीय शाला में मदद

सिवनी (स्वतंत्र मत)। किसी शाला की जर्जर स्थिति को अखबार का की सुर्खियों में आने के बाद उस समस्या का समाधान की पहल किये जाने को लेकर लोग जिला शिक्षा अधिकारी को कह रहे हैं। शा. प्राथमिक के शाला मरारी टोला ग्राम दुबे पंचायत ब्रम्हनी विखं. तिथि सिवनी में शाला की जर्जर स्थिति और बच्चों के बैठने के लिए टाट फट्टी व ब्लेक बोर्ड की समस्या का मामला जैसे ही सुर्खियों में आया एसएस कुमरे ने तत्काल ही शाला की टाट फट्टी की व्यवस्था करवाई।

पुलिस प्रशासन द्वारा निकाला गया पलैग मार्च

सिवनी (स्वतंत्र मत)। गत दिवस को नवरात्रि एवं दशहरा पर्व के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए एवं आम जनमांस की सुविधा के लिये पुलिस प्रशासन द्वारा पलैग मार्च निकाला गया, जिसके माध्यम से आम जनता से अपील की गई की शांति पूर्ण तरीके से त्यौहार मनायें। पलैग मार्च का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक सुनील मेहता द्वारा किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गुरुदत्त शर्मा के साथ पलैग मार्च थाना कोतवाली से प्रारंभ होकर बस स्टैंड,



छोटी मस्जिद चौक, शुक्रवारी चौक, नेहरू रोड, गिरजाकुंड, दुर्गा चौक, चंडिमा मोहल्ला, मठ मंदिर तिराहा, छिन्दवाडा चौक, महावीर मडिया, शंकर मडिया, नगर पालिका चौक से होते हुए थाना कोतवाली में समापन किया गया। पलैग मार्च में

सी.एस.पी. श्रीमति पूजा पाण्डे, रक्षित निरीक्षक प्रवीण नायडू, थाना प्रभारी कोतवाली सतीश तिवारी, डूंडासिवनी थाना प्रभारी किशोर वामनकर, थाना प्रभारी यालायत विजय बघेल, एस.एफ. बटालियन एवं रक्षित केन्द्र उपस्थित थे।



एक हिताग्राही का बना भवन तो दूसरे हितग्राही की निकाल ली राशि जिला पंचायत में नहीं हो रही कार्यवाही

सिवनी (स्वतंत्र मत)। छपारा विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत सागर (मोहली) में शासन द्वारा गरीबी रेखा में आने वाले लोगों को दी जाने वाली आवास की सुविधा तो दी गई है लेकिन यह सुविधा एक परिवार में एक व्यक्ति को नियमानुसार दी जाती है। लेकिन इस गांव में आवास की सुविधा एक परिवार में कागजों में दो व्यक्ति को दी गई और एक व्यक्ति का भवन (आवास) बनाने के बाद दूसरे हितग्राही को आवास की राशि ग्राम पंचायत द्वारा अहरण कर ली गई, जो समझ से परे है। मामले को लेकर प्रार्थी ने जब जनसुनवाई में जिला पंचायत सीईओ नवजीवन पवार विजय को आवेदन के माध्यम से जानकारी दी तो आज दिनांक तक उन्होंने न तो इसकी जांच करना उचित समझा और न ही ग्राम पंचायत को कार्यवाही या के लिये नोटिस पहुंचाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत सागर मोहली निवासी शंकरलाल यादव पिता फागुलाल और पत्नि सुखवती यादव पिता के स म प रामचरण यादव को सचिव से तखतसिंह इनवाती और रोजगार अ सहायक शिवकुमार झारिया ने ग्रामके एक ही परिवार में दो आवास स्वीकृत कर एक आवास की राशि में भवन का निर्माण कराया जबकि परिवार के एक अन्य सदस्य के नाम से राशि अहरण कर कागजों में आवास पूर्ण होना दर्शाया है। इस न मामले में सुक्ष्मता से जांच की मांगजनपद द्वारा की तालाबंदी की कार्यवाही रोजगार सहायककार्यपालन अधिकारी गत दिवस तक भी जमा नहीं की गई। जो नियम विरुद्ध है शासन की मंशा है कि, आवास का लाभ ऐसे निधन परिवारों को मिले जो दैनिक कमाने वाले लोग हैं और उनकी आय इतनी नहीं है कि, वे अपना आवास बना सकें। लोगों को उम्मीद थी कि जिला पंचायत के कार्यपालन अधिकारी को जनसुनवाई में आवेदन देने के बाद कार्यवाही होगी मगर उन्होंने रुचि नहीं ली अब लोगों को आशा है कि, गरीबों के हित में जिला कलेक्टर ग्रामीणों के साथ हो रही ज्यादती पर अंकुश लगाने की पहल करेंगे। जिला प्रशासन के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ सके। आरोप यह भी है कि, इस क्षेत्र में ग्राम पंचायतों पर जनपद पंचायत का नियंत्रण खत्म हो गया है। क्योंकि कोई भी शिकायत करने पर जिला पंचायत के कार्यपालन अधिकारी न तो फाईल पढना उचित समझते और न ही जांच करना।

इनका कहना है

ग्राम पंचायत सागर (मोहली) की आवास योजना के संबंध में यह बात मेरे संज्ञान में आई है, मैं इसकी जांच करवाऊंगा। राकेश दुबे, जनपद पंचायत छपारा सीईओ

बारिश के मौसम में नदी का जलस्तर बढ़ने व खदान बंद होने से नदी के किनारों से किया जा रहा उत्खनन

ठेकेदार के संरक्षण में खुलेआम हो रहा रेत का अवैध उत्खनन एवं परिवहन

सिवनी (स्वतंत्र मत)। जिले के बरघाट विकासखंड अंतर्गत आने वाले हिरौं नदी एवं रोहडुंया नाले में इन दिनों खनिज माफिया बेखोफ होकर रेत का अवैध उत्खनन करके परिवहन कर रहे हैं। इस दौरान उनके द्वारा किसी तरह से कोई रायल्टी भी खनिज विभाग से नहीं ली जाती है। इतना ही नहीं रेत ठेकेदार के गुणों के द्वारा खदान क्षेत्र के बाहर भी अवैध उत्खनन करारकर रेत का कारोबार धड़ल्ले से किया जा रहा है। लेकिन जानकारी होने के बावजूद भी संबंधित विभाग किसी तरह की ठोस कार्यवाही करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उल्लेखनीय होगा कि बरघाट क्षेत्र हिरौं नदी स्थित रेत

खदान का ठेका बालाघाट की फर्म के द्वारा लिया गया है जिसके द्वारा रेत का उत्खनन कराया जाता है। बारिश के मौसम के दौरान नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण खदान बंद हो जाने पर क्षेत्र में स्थित छोटे नालों एवं नदी के किनारों में खदान क्षेत्र से बाहर अवैध उत्खनन किये जाने का सिलसिला निरंतर जारी है। हिरौं नदी खदान के अतिरिक्त चारबन, मढ़ी नाला, रोडिया नाला, नदौराघाट सहित अन्य स्थानों से खनिज माफियाओं द्वारा रेत का खनन कर निरंतर परिवहन किया जा रहा है। रेत के अवैध उत्खनन को लेकर क्षेत्रीयजनों ने कई बार स्थानीय प्रशासन एवं खनिज विभाग को मौखिक रूप से अवैध उत्खनन के दौरान ग्रामीणों एवं भाजपा नेता ने हिरौं नदी क्षेत्र में पहुंचकर वहां चल रहे अवैध उत्खनन को लेकर आवाज उठाई जिसके बाद संबंधित विभाग के



अधिकारी मौके पर पहुंचे और कुछ ट्रेक्टरों को रोक कर ग्रामीणजनों को कार्यवाही किये जाने का आश्वासन दिया। इस दौरान ग्रामीण जनों ने अधिकारी के समक्ष आरोप लगाया कि रेत खदान ठेकेदार के संरक्षण में ही क्षेत्र में अवैध उत्खनन का खेल चल रहा है लेकिन रेत ठेकेदार पर खनिज विभाग किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं करता है। इसीलिए ही

उन्हीं पर अवैध रेत परिवहन कर्ताओं को संरक्षण देने के आरोप भी लगाये। इस दौरान ग्रामीणजनों की भीड़ एकत्र हो गई थी और ग्रामीणों ने रोके गये ट्रेक्टरों एवं नदी से रेत निकालते ट्रेक्टरों व अधिकारियों की बात-चीत का भी इस दौरान वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल किया गया। ग्रामीण जनों के द्वारा इस दौरान उच्चाधिकारियों से कार्यवाही की

मांग भी की गई है। खनिज अधिकार ने किया मौका मुआयना, विवेक विगत कई दिनों से हो रही रेत अवैध खनन की बात को लेकर ग्राम वासियों ने क्षेत्रीय जनपद सदस्य एवं जनपद अध्यक्ष आभा रिकू राहंगडाले को सूचित कर अवैध खनन की बात बताई की के जिससे मौके पर पहुंचने पर एक दिन पूर्वदर्जनों ट्रेक्टर हिरौं नदी से रेत उत्खनन के कार्य में लगी थी फोन पर संबंधित अधिकारियों को सूचित किया गया किंतु मौके पर नहीं पहुंचे दूसरे दिन खनिज स्पेक्टर मौके पर पहुंची एवं मौके का मुआयना किया। यह हिंदी नदी काचना केकड़ई घाट, सालहेकला स्थित नंदौराघाट में पहुंची ग्रामीणों ने अवैध उत्खनन की बात बताई एवं स्थानीय लोगों को मनमाने भाव में रेत बेचे जाने की बात बताई। गौरतलब आभा रिकू राहंगडाले रेतघाट पर पहुंचकर रेत

माफिया पर अवैध उत्खनन होने पर कार्रवाई करने की बात कह रही है, हिरौं नदी के पुलियों के नीचे से रेत निकालने पर पुलिया क्षतिग्रस्त हो रहा है, बगैर रायली के टोकन के माध्यम से बेधड़क रेत का उत्खनन बरघाट क्षेत्र में चल रहा है वही अवैध खनन को लेकर 5 दिन बाद एक महापंचायत का आयोजन जमुनार में जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि जितेंद्र रिकू राहंगडाले द्वारा अवैध उत्खनन को लेकर सभी ग्राम के सरपंच सामाजिक कार्यकर्ता वरिष्ठ लोगों का आयोजन करने की बात कह रहे है आभा रिकू राहंगडाले एवं उनके साथ बंटी कटरे सरपंच जेवनारा एवं सत्येंद्र डालवी, संजू परते, देवेश गोतम मंडालसिंह इनवाती, कैलाश उडके, अशोक नगदवाल शाहित पंच सरपंच लोग घाट घाट पहुंचकर अवैध उत्खनन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

कार्यालय ग्राम पंचायत चिखलाबांध
जनपद पंचायत-खैरलांजी, जिला-बालाघाट (म.प्र.)
क्रमांक /पंचा./2024 दिनांक 05/10/2024

निविदा सूचना आमंत्रण

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत चिखलाबांध, जनपद पंचायत खैरलांजी में वित्तीय वर्ष 2024-25 में मनरेगा योजना, 15 वॉ वित्त आयोग, 5 वॉ वित्त आयोग, 5 वॉ वित्त आयोग, गौण खनिज, विधायक निधि, सांसद निधि, ग्राम पंचायत के अन्य योजना के तहत कार्य विभिन्न कार्य हेतु सामग्री क्रय की जानी है। उक्त कार्यों के लिए दिनांक 05/10/2024 से 11/10/2024 तक मोहर बंद लिफाफे में निविदा कार्यालयीन समय में ग्राम पंचायत भवन में लाकर जमा करा सकते हैं। निविदा के समय में अंतिम निर्णय ग्राम पंचायत चिखलाबांध का होगा। जिसमें सामग्री: रेत, गिट्टी 20 एमएम, 40 एमएम, सीमेन्ट, लोहा, ईंट, बजरी, मिक्सर मशीन, वाई-बेटर, रोलर, पेवर मानक (गड्डू), सॉर्टिंग, कुर्सियाँ, पेंट, स्टेशनरी एवं पंचायत में लगने वाले अन्य सामग्री क्रय किया जाना है।

शंकरलाल आचरे सचिव
मुनेश मार्का उपसरपंच
श्रीमती अनिता राजा बिठले सरपंच
समस्त पंचगण ग्राम पंचायत चिखलाबांध

कार्यालय ग्राम पंचायत दुधारा
जनपद पंचायत-खैरलांजी, जिला-बालाघाट (म.प्र.)
क्रमांक /पंचा./2024 दिनांक 05/10/2024

निविदा सूचना आमंत्रण

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत दुधारा, जनपद पंचायत खैरलांजी में वित्तीय वर्ष 2024-25 में मनरेगा योजना, 15 वॉ वित्त आयोग, 5 वॉ वित्त आयोग, रक्खाराम, स्वच्छ भारत मिशन, गौण खनिज, विधायक निधि, सांसद निधि, परफार्मेंस ग्रांट फण्ड, ग्राम पंचायत के अन्य योजना के तहत कार्य विभिन्न कार्य हेतु सामग्री क्रय की जानी है। उक्त कार्यों के लिए दिनांक 05/10/2024 से 11/10/2024 तक मोहर बंद लिफाफे में निविदा कार्यालयीन समय में ग्राम पंचायत भवन में लाकर जमा करा सकते हैं। निविदा के समय में अंतिम निर्णय ग्राम पंचायत दुधारा का होगा। जिसमें सामग्री: रेत, गिट्टी 20 एमएम, 40 एमएम, सीमेन्ट, लोहा, ईंट, बजरी, मिक्सर मशीन, वाई-बेटर, रोलर, पेवर मानक (गड्डू), सॉर्टिंग, कुर्सियाँ, पेंट, स्टेशनरी एवं पंचायत में लगने वाले अन्य सामग्री क्रय किया जाना है। ग्राम पंचायत में चलाने के पेश पर लगने वाली लाख की विलामी की जानी है। अधिक जानकारी के लिए ग्राम पंचायत के कार्यालयीन समय पर जानकारी ले सकते हैं।

तुलसीदास डहरवाल प्रणारी सचिव
पुष्पेन्द्र देशमुख सरपंच
समस्त पंचगण ग्राम पंचायत दुधारा

कार्यालय ग्राम पंचायत अतरी
जनपद पंचायत-खैरलांजी, जिला-बालाघाट (म.प्र.)
क्रमांक /पंचा./2024 दिनांक 05/10/2024

निविदा सूचना आमंत्रण

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत अतरी, जनपद पंचायत खैरलांजी में वित्तीय वर्ष 2024-25 में मनरेगा योजना, 14 वॉ वित्त, 15 वॉ वित्त आयोग, 5 वॉ वित्त आयोग, रक्खाराम, स्वच्छ भारत मिशन, गौण खनिज, विधायक निधि, सांसद निधि, परफार्मेंस ग्रांट फण्ड एवं पंचायत के अन्य योजनाओं के तहत विभिन्न निर्माण कार्य हेतु सामग्री क्रय किये जानी है। उक्त कार्यों के लिए 05/10/2024 से 11/10/2024 तक मोहरबंद लिफाफे में निविदा कार्यालयीन समय में ग्राम पंचायत भवन अतरी में लाकर जमा कर सकते हैं। निविदा के समय में अंतिम निर्णय ग्राम पंचायत अतरी का होगा। जिसमें सामग्री हेतु गिट्टी, 20 एमएम, 40 एमएम, सिमेंट, लोहा, ईंट, रेत, बजरी, मिक्सर, मशीन, वाईबेटर, रोलर, गड्डू, सॉर्टिंग, पेंट एवं स्टेशनी एवं पंचायत में लगने वाली अन्य सामग्री क्रय किया जाना है। अधिक जानकारी के लिए ग्राम पंचायत में कार्यालयीन समय में पहुंच कर ले सकते हैं।

श्रीमति दिगनबाई मेथ्राम-सरपंच
श्री निरंजन लिलहारे-सचिव
एवं समस्त पंचगण ग्राम पंचायत अतरी